

**न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर**  
**रसद प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019**

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

**बनाम**

.....प्रार्थी

किशोर टी स्टॉल, सोलह खम्भा, अन्दरकोट, अजमेर जरिये श्री किशोर पुत्र श्री मोहनदास,  
निवासी: सोलह खम्भा, अन्दरकोट, अजमेर।

.....अप्रार्थी

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम**

उपस्थित: श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

**आदेश**

दिनांक 19.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी की टी स्टॉल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपनी टी स्टॉल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय नाश्ता बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	212110	INDANE	15.8kg	30 kg	14.2kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासी:- फकीराखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.09.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस



**21/11/19**  
**जिला कलक्टर**  
**अजमेर**

सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर अचानक समाप्त होने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया था। अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग किया जाता है घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जाता है। अप्रार्थी भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को स्वीकार किया गया है। वक्त जांच भी उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



*Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलेक्टर  
अजमेर